

## न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या -26 /2021 (प्रार्थना पत्र)

GCMS No. 2021/106

1. नन्दलाल पुत्र धन्नालाल निवासी अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलाण्ट

बनाम

1. क्षेत्रीय अधिकारी (Morth) जरिये परियोजना निदेशक, ए-504, इन्द्रा विहार तलवण्यडी कोटा वास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी, एन.एच. 148-एन जिला कोटा राज0
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा वास्ते एन. एच. 148-एन अवार्ड दिनांक 5.7 एवं 14.8.2019 3-जी-1, 2,3 कलेक्ट्रेट परिसर नयापुरा कोटा जिला कोटा राज0

—रेस्पोंडेन्ट

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र एवं आपत्तियां अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, वास्ते वर्तमान कृषि भूमि के बाजारू मूल्य एवं डीएलसी दर से मुआवजा निर्धारित किये जाने बाबत ।

उपस्थित:-

1. श्री सतीश पचोरी, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजकुमार वर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
3. श्री अभिनव जैन अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1
4. श्री दिलदार सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1

निर्णय

दिनांक :-20.10.2021

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रसक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148-एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमियों के साथ ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 166/529 रकबा 1.0400 हे0 नहरी द्वितीय में से 0.9253 हे0 अवाप्ती का अवार्ड जारी किया जाने पर भुगतान प्राप्त करने हेतु जारी नोटिस दिनांक 28.11.2019 से असन्तुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस0बी0सिविल रिट पीटीशन नं0 10292/2020 आदेश दिनांक 3.3.2021 से माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश के क्रम में प्रस्तुत किया है ।

2  
जिला कलेक्टर  
कोटा

2. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.03.2021 को प्रस्तुत किया कि उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ख) व 3(ग) के तहत मौके पर कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, नापजोख, मूल्यांकन या जांच करना, तलमापन करना अवमृदा का खोदा जाना, सीमाओं और संकर्म का आयाथित रेखांकन करना एवं प्रार्थी के मौके पर भौतिक व वास्तविक कब्जे का सत्यापन करने का कार्य नहीं किया, आक्षेपों की सुनवाई नहीं की तथा निवेदन करने पर भी धारा 3(झ) के तहत बिना कब्जे वाले व मृत हुये खातेदारों के नामान्तकरण खोल कर वास्तविक कब्जे के सत्यापन के लिये किसी भी गवाह को ना तो बुलाया, ना ही जो दरस्तावेज दिये गये, उन्हें रिकार्ड पर लिया। शपथ पत्रों पर साक्ष्य नहीं ली व अन्य लोक अभिलेख का अवलोकन कर कमिश्नर नियुक्त नहीं किया एवं धारा 3 (ग)(2) के तहत नोटिस व प्रार्थना पत्र देने के बावजूद उक्त आक्षेपों पर प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सामान्य व पुरानी डीएलसी दर पर ही मात्र कृषि भूमि का मुआवजा न्यूनतम दर से निर्धारित कर दिया। वर्तमान मुआवजा जिस प्रकार से एन.एच. 148 एन अवार्ड दिनांक 5.7 एवं 14.8.2019 3-जी-1, 2 व 3 से निर्धारित किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की अधिसूचना सं० का.आ.4329 दिनांक 5.9.2018 प्रकाशित दिनांक 21.9.2018 के सन्दर्भ में नोटिस में वर्णित अधिसूचना दिनांक 30.01.2019 प्रकाशित 11.2.2019 में लगभग 2 वर्ष का समय लिया एवं प्रार्थी को दिये नोटिस दिनांक 28.11.2019 की पालना में 60 दिन के भीतर-भीतर अपनी आपत्तियां प्रेषित करते ही कोविड-19 महामारी प्रारंभ हो गई। इस कारण से उभयपक्षों को कोरोना काल में विलम्ब की अवधि का समय मिल गया परन्तु उक्त लाभ प्रार्थी को नहीं दिया जा रहा है और प्रार्थी को अब भूमि का कब्जा लेने के लिये बिना उचित मुआवजा दिये ही मजबूर किया जा रहा है। प्रार्थी से अभी तक भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में वर्णित अनुसार "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation Resettlement Act 2013" वर्तमान अर्थात् 2020-21 की कृषि भूमि की डीएलसी एवं बाजारू दर से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारित कर दिया जाना कानूनी व न्यायोचित है। सक्षम प्राधिकारी ने प्रथम सर्वे में सेटलमेन्ट के नक्शे की डीपीआर स्वीकृतशुदा भारत सरकार के अनुसार वर्तमान मौके की निशानदेही नहीं की इस कारण से प्रार्थी की खसरा नं० 166/529 रकबा 1.0400 हे० की भूमि आंशिकरूप से अवाप्त दर्शायी गई है जबकि मौके पर उक्त भूमि में से बची शेष भूमि किसी भी उपयोग की नहीं रहेगी। इसलिये प्रार्थी की सम्पूर्ण खसरा नं० 166/529 की सम्पूर्ण भूमि 1.0400 हे० में से 0.9253 हे० भूमि ही अवाप्त की गई है, शेष भूमि जो अब प्रार्थी के उपयोग की नहीं रही है को भी अवाप्त किया जाना व सम्पूर्ण भूमि का उचित मुआवजा वर्ष 2020-21 की डीसलसी दर व बाजारू दर से दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

जिला कलेक्टर  
कोटा

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एडवोकेट अभिनव जैन एवं एडवोकेट दिलदार सिंह उपस्थित । अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । उपस्थित उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।
4. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की अधिसूचना सं0 का.आ. 4329 दिनांक 5.9.2018 प्रकाशित दिनांक 21.9.2018 के सन्दर्भ में नोटिस में वर्णित अधिसूचना दिनांक 30.01.2019 प्रकाशित 11.2.2019 में लगभग 2 वर्ष का समय लिया एवं प्रार्थी को दिये नोटिस दिनांक 28.11.2019 की पालना में 60 दिन के भीतर-भीतर अपनी आपत्तियां प्रेषित करते ही कोविड-19 महामारी प्रारंभ हो गई । इस कारण से उभयपक्षों को कोरोना काल में विलम्ब की अवधि का समय मिल गया परन्तु उक्त लाभ प्रार्थी को नहीं दिया जा रहा है और प्रार्थी को अब भूमि का कब्जा लेने के लिये बिना उचित मुआवजा दिये ही मजबूर किया जा रहा है । प्रार्थी से अभी तक भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में वर्णित अनुसार "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation Resettlement Act 2013" वर्तमान अर्थात् 2020-21 की कृषि भूमि की डीएलसी एवं बाजारू दर से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारित कर दिया जाना कानूनी व न्यायोचित है । सक्षम प्राधिकारी ने प्रथम सर्वे में सेटलमेन्ट के नक्शे की डीपीआर स्वीकृतशुदा भारत सरकार के अनुसार वर्तमान मौके की निशानदेही नहीं की इस कारण से प्रार्थी की खसरा नं0 166/529 रकबा 1.0400 हे0की भूमि आंशिकरूप से अवाप्त दर्शायी गई है जबकि मौके पर उक्त भूमि में से बची शेष भूमि किसी भी उपयोग की नहीं रहेगी । इसलिये प्रार्थी की सम्पूर्ण खसरा नं0 166/529 की सम्पूर्ण भूमि 1.0400 हे0 में से 0.9253 हे0 भूमि ही अवाप्त की गई है, शेष भूमि जो अब प्रार्थी के उपयोग की नहीं रही है को भी अवाप्त किया जाना व सम्पूर्ण भूमि का उचित मुआवजा वर्ष 2020-21 की डीसलसी दर व बाजारू दर से दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है । तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नोकरी, राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे से सरकारी खर्चे पर पक्की पाईप लाइन डलवाई जावें, आर.ओ.बी. के नीचे से दौनों ओर सर्विस लेन बनाकर दी जावें । आदि मांग की गई है ।
5. वकील अप्रार्थी नं0 1 ने बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए दिनांक 5.9.2018 व धारा 3 डी दिनांक 04.1.2019 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड दिनांक 14.08.2019 को पारित कर दिया गया है जिसकी मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हितधारकों / खातेधारकों को दिनांक 28.11.2019 को नोटिस प्रेषित किया गया है । वह आपत्ति प्रस्तुत करने के संबंध में नहीं होकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित मुआवजा राशि को प्राप्त करने के लिये दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग



जिला कलेक्टर  
कोटा

प्राधिकारण को अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा 60 दिवस के भीतर सुपुर्द किये जाने के संबंध में प्रेषित किया गया है । प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित मुआवजा राशि में अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से अवार्ड पारित होने की तिथि तक की समयावधि का 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया गया है । इसके अतिरिक्त भी प्रार्थी को अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.6.2016 के अनुसार 1.25 के फैक्टर का लाभ भी दिया गया है । इस प्रकार प्रार्थी को अधिनियम 1956 व अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार समस्त लाभ दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात ही अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही की गयी है जो कि सही एवं उचित है । अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (7)(ए) के अनुसार धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को जो भूमि का मूल्य होता है वही मूल्य मुआवजे की गणना करते समय अवधारित किया जाता है । अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (7)(ए) के सुसंगत प्रावधान निम्न प्रकार है- "(7) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, यथास्थिति, उप धारा (1) या उप धारा (5) के अधीन रकम का अवधारण करते समय निम्न को ध्यान में रखेगा । (ए) धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य" । अवाप्त होने वाली भूमि का राजस्व नक्शे पर सुपर इम्पोज के माध्यम से तथा यांत्रिक मशीनों के माध्यम से तकनीकी आधारों पर सर्वे किया गया है । अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी कर भूमि अवाप्त की गई है तदुपपरान्त धारा 3 बी के अनुसार मौके पर सड़क निर्माण के लिये सर्वेक्षण निरीक्षण, नापजोख करना आदि कार्य किये गये है । अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में स्वतंत्र सलाहकार व तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक मशीनों की मदद से राष्ट्रीय राजमार्ग का अलाइनमेंट एवं भूमि अवाप्ति प्लान बनाया गया है जिसका सक्षम स्तर पर अनुमोदन किया गया है, जिसकी अक्षरशः पालना करते हुये भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जायेगा । राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु धारा 3ए व 3 डी के तहत अन्तिम रूप से अवार्ड में वर्णित भूमि ही अवाप्त की गयी है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक रूप से भूमि की अवाप्ति नहीं की जाती है, क्योंकि इससे बिना किसी कारण एवं अनावश्यक रूप से मुआवजे का बोझ भ.रा. रा.प्रा. पर पडता है । प्रार्थी अपनी शेष भूमि पर नियमानुसार कार्य करने हेतु स्वतंत्र है । प्रार्थी द्वारा मनमुताबिक 2020-21 की डी.एल.सी. दर से चाहा गया अनुतोष नियमानुसार नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी ने वर्तमान 2021 की डी एल सी दर से 5 गुना मुआवजा दिलाये जाने की मांग की है जो कि कत्तई न्यायोचित नहीं है । 5 गुना मुआवजा राशि दिये जाने के कोई प्रावधान अधिनियम 1956 और अधिनियम 2013 में नहीं है । अधिनियम 2013 की धारा 30(3) के अनुसार अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिनांक से अवार्ड पारित होने की



22  
जिला अधीक्षक  
जयपुर

दिनांक तक की समयावधि का 12 प्रतिशत ब्याज दर से नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड पारित कर दिया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम अरल्या जागीर के खसरा नम्बर 166/529 की 1.0400 हे० में से 0.9253 हे० भूमि उक्त 8 लेन परियोजना (भारतमाला) में अवाप्ति हेतु एवार्ड पारित कर दिया गया। कृषि भूमि का मुआवजा अवार्ड दिनांक 05.7.2019 से प्रतिपक्षी नं० 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वक्त अवाप्ति अधिसूचना 3क की प्रचलित डीएलसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है। वकील प्रार्थी का मुख्य कथन है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनको आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया। इस बाबत प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस०बी०सिविल रिट पीटीशन नं० 10292/2020 आदेश दिनांक 3.3.2021 से माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश के क्रम में यह आपत्तियां इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा तय किया गया है वह RFCTLARR ACT 2013 के तहत ही तय किया गया है। प्रार्थी वर्तमान 2020-21 की डी०एल०सी० दर से मुआवजा चाहता है, तथा परिवार के सदस्य को नोकरी, एवं अन्य मांग रखी गई है जो प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा नये नियम 2013 के तहत ही भुगतान किया गया है फिर भी यदि Structure आदि का भुगतान शेष हो तो उसकी जांच कराई जाकर भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है।
7. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर एस०बी०सिविल रिट पीटीशन नं० 10292/2020 आदेश दिनांक 3.3.2021 से प्रदत्त आदेशानुसार कार्यवाही हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है।
8. निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठी)

जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर

कोटा